मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-2/2013/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ाने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time scale Pay) ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 7-11-2009, 12-1-2010, 16-7-2010, 5-8-2010, 30-10-2010, 4-11-2010, 20-5-2011, 31-5-2011, 27-6-2011, 25-10-2011, 13-12-2011, 10-1-2012, 3-3-2012, 30-6-2012, 19-7-2012 एवं 23-8-2012 .

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबध में यह अवगत कराया जाता है कि मध्यप्रदेश पुनरीक्षित वेतन नियम, 2009 में वेतन बैंड के साथ ग्रेड पे की संरचना प्रस्तावित की गई है। इन नियमों के नियम-9 के परन्तुक के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम पर पंहुच जाता है तो उसे अधिकतम स्तर पर पंहुचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जावेगा । उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि ग्रेड वेतन, वेतन बैंड बदलने से प्रभावित नहीं होगा ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में समयमान वेतनमान देने के कारण उच्च ग्रेड पे देने से वेतन बैंड में परिवर्तन होने पर उच्च वेतन बैंड में वेतन निर्धारण का लाभ देकर वेतन निर्धारण किया जा रहा है, जो गलत है ।

3/ अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को समयमान वेतनमान देने के कारण उच्च वेतन बैंड की पात्रता नहीं होगी । उच्च वेतन बैंड केवल पदोन्नति की स्थिति एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के द्वितीय परन्तुक अनुसार पूर्व वेतन बैंड के अधिकतम पर पंहुचने के बाद ही देय होगा ।

4/ पूर्व में इस संबंध में किये गये वेतन निर्धारण इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/paripa2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग